

**कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश नखनऊ।**

संख्या प्राशिम/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

नखनऊ दिनांक 15.11.2019

- कार्यालय ज्ञाप -

आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रोत्साहित सत्र 2018-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जा रहा है। सत्र 2019-20 के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने हेतु सत्र 2018-20 हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अन्तर्गत से सम्बद्धता समिति की बैठक को तद-व में द्वितीय पाली में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अनुमोदन प्रदान किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा प्रदान किया गया निर्णय निम्न प्रकार है:

संलग्नक 3 में अंकित निजी क्षेत्र में स्थित डिग्री स्तरीय संस्थाएँ, द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु एउआईटीआईएडों द्वारा सत्र 2018-20 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएँ प्राविधिक शिक्षा परिषद से पूर्व से संबद्ध हैं, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2018-20 हेतु द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संचालन हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

जो निम्नानुसार सूचीकृत संस्थाओं परिसरों में निर्दिष्ट समिति एवं विभाग द्वारा विचार किया गया सम्बद्धता समिति द्वारा निर्णय के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नखनऊ से सत्र 2018-20 हेतु निम्नलिखित संस्थाओं के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं संस्थाओं के अन्तर्गत प्रवेश किया गया है:

संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एउआईटीआईएडों/विभागीय आईई द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्रदान किया गया	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 अनुमोदन प्रदान किया गया	संस्था का नाम
1	आर्य समाज इंजीनियरिंग कॉलेज, गुरुदासपुरा, जिला बलिया	कॉम्प्यूटर एप्लीकेशन	50	1	50
	गुरुदासपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज, गुरुदासपुरा, जिला बलिया	ग्राफिक डिजाइन	50		50
	गुरुदासपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज, गुरुदासपुरा, जिला बलिया	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	50		50

संभवतया हेतु शर्तें

- 1. एउआईटीआईएडों द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पूर्ण पालन करेंगी।
- 2. संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अनुमोदन प्रदान करने के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जा रहा है। सत्र 2019-20 के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने हेतु सत्र 2018-20 हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।
- 3. संस्था का डिप्लोमा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जा रहा है। सत्र 2019-20 के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने हेतु सत्र 2018-20 हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

**कार्यालय,
संघीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिए/ प्राथम सम्बद्धता/ 2020/ 1971

लखनऊ दिनांक: 13-9-2020

-कार्यालय द्वाारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्ली/राज्य स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 1-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ का अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं के सम्बद्धता/पूर्व से संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गुरों पर विचार किया।

उक्त की अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के तद-02 में विषयगत इन इजीओ पाठ्यक्रम संचालित करने वाली एवं स.सम्बद्ध संस्थाओं को प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया।

निजी क्षेत्र में स्थापित किम्बोना इन इजीओ पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध है। ये एमआईसीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्तावित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एमआईसीटीआई द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर शर्तित द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एमआईसीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्तावित अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु किम्बोना क्षेत्रों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एमआईसीटीआई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1321	कीम्बोना इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्निकल एजुकेशन, थार रोड, दिल्ली नगरपालिका, नरसपुर, मेरठ।	सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60 60 120	60 60 120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एमआईसीटीआई/एमआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 अमेस्टेड विनियमवली-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजीओ पाठ्यक्रमों हेतु रु. 30,150.00/- एवं दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु. 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु. 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के शुल्क के सम्बन्ध में सम्बन्ध-संस्था एवं माहान द्वारा निर्गत किये गए वारंट का पालना देना प्रत्याक्ष होना चाहिए, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा भेदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनता एवं लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति) तथा अन्य शक्तियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना (विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा)।

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

प्रखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञापन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निरूनांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1531-SHRINATHJI INSTITUTE FOR TECHNICAL EDUCATION, GHAT ROAD, DELHI ROORKEE BYPASS, MEERUT

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING	120	120
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 सेमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तौन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले